न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 66/2021

1 रूपराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा। - प्रार्थी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।
2 विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।
3 सहायक अभियंता जो0 वि0 वि0 एन0 एल0 गोगामेडी।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व (भादरा) एवं उप पंजीयक भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण- प्रार्थी

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी – अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 07/03/2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा 8 डीपीएन के खाता सं0 9/7 के मु0 न0 5 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14/1, 15 की 1.012है0, मु0 न0 6 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.024है0 कुल 3.036है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व रोही चक 5 डीपीएन के खाता सं0 4/100 के मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 8 की 2.024है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 15/141 के मु0 न0 11 के किला न0 16, 17, 18, 19, 20, 21 ता 25 कुल 1.985है0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2415/9925 हिस्सा व रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 16/14 के मु0 न0 27 के किला न0 5, 6 की 0.506है0 नहरी, बारानी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा श्योचंद के नाम थी। श्योचंद के फौत होने के बाद वाद भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज हुई थी। अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व दावा के प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी एवं दावा के सभी प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

दावा के प्रतिवादी सं0 3 व 4 का विवाह काफी वर्षों पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अच्छे घरों में कर दिया है, उनके भात, छूछक व अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने सम्पन्न कर दिये है, दावा के प्रतिवादिया सं0 3 व 4 के पास काफी चल अचल सम्पति है। इसलिए दावा के प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने शुरू से ही वादभूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया। वादभूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ही बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रहने से अप्रार्थी वाद भूमि को बहकावे में आकर के रहन बैय या मुन्तकिल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हक व हिस्सा से वंचित करने की कोशिश में है अगर वह ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। अत : प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा वाद भूमि को किसी बैंक या अन्य वित्तिय संस्था के रहन रखकर ऋण प्राप्त नहीं करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने जवाब

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थी के दादा श्योचंद की खातेदारी नहीं हुआ करती थी वादभूमि में मुझ अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी शामिल है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। व प्रार्थी ने दावा में जो कथन किया है कि प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा वादभूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर हिस्सा शून्य कर लिया है जो कि गलत है इस प्रकार प्रार्थी का वादभूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी सं 1 औमप्रकाश ने जिस खेत में कुंआ व ट्रान्सफार्मर लगा रखा है वह अप्रार्थी सं0 1 खुद की स्वअर्जित खातेदारी है। अप्रार्थी औमप्रकाश के खेत में लगे कुंआ का पानी खराब हो गया एवं सिंचाई लायक नहीं रहा जिसके चलते उसने अपने दूसरे खेत में कुंआ लगा रहा है जहां अप्रार्थी सं0 1 औमप्रकाश अपने पुराने बिजली कनैक्शन को नियमानुसार स्थानान्तरित करवा रहा है जिसे रूकवाने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी को बिजली कनैक्शन आवश्यकता है तो बिजली विभाग से नियमानुसार अपना कनैक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है परन्तु अप्रार्थी औमप्रकाश को अपने कनैक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थी को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त पेश की है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि सम्पति दादालाई है। रोही मोजा 8 डीपीएन के खाता सं0 9/7 के मु0 न0 5 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14/1, 15 की 1.012है0, मु0 न0 6 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.024है0 कुल 3.036है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व रोही चक 5 डीपीएन के खाता सं0 4/100 के मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 8 की 2.024है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 15/141 के मु0 न0 11 के किला न0 16, 17, 18, 19, 20, 21 ता 25 कुल 1.985है0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2415/9925 हिस्सा व रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 16/14 के मु0 न0 27 के किला न0 5, 6 की 0.506है0 नहरी, बारानी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हक व हिस्सा से वंचित करने की कोशिश में है अगर वह ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। अत : प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा वाद भूमि को किसी बैंक या अन्य वित्तिय संस्था के रहन रखकर ऋण प्राप्त नहीं करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। इस प्रकार पैतृक कृषि भूमि में सभी वारिसान का जन्म से हक व अधिकार है। सम्पति पर यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होती है तो अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है अप्रार्थीगण सम्पति को रहन बैय करने की फिराक में है मूल वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया जावे। तथा वकील अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त उक्त वर्णित वादभूमि सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थी के दादा श्योचंद की खातेदारी नहीं हुआ करती थी वादभूमि में मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी शामिल है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। व प्रार्थी ने दावा में प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा वादभूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क अपना हक व हिस्सा शून्य कर लेना गलत है व प्रार्थी का वादभूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। व मैंने जिस खेत में कुंआ व ट्रान्सफार्मर लगा रखा है वह मेरी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है। व अप्रार्थी के खेत में लगे कुंआ का पानी खराब हो गया एवं सिंचाई लायक नहीं रहा जिसके चलते अप्रार्थी अपने दूसरे खेत में कंआ लगा रहा है जहां अप्रार्थी अपने पुराने बिजली कनैक्शन को नियमानुसार स्थानान्तरित करवा रहा है जिसे रूकवाने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी को बिजली कनैक्शन आवश्यकता है तो बिजली विभाग से नियमानुसार अपना कनैक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है परन्तु अप्रार्थी को अपने कनैक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थी को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त पेश की है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (भादरा) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, बैयनामा, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ओमप्रकाश के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वादभूमि में मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी शामिल है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। व प्रार्थी ने दावा में प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा वादभूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क अपना हक व हिस्सा शून्य कर लेना गलत है व प्रार्थी का वादभूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। व मैंने जिस खेत में कुंआ व ट्रान्सफार्मर लगा रखा है वह मेरी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है। व अप्रार्थी के खेत में लगे कुंआ का पानी खराब हो गया एवं सिंचाई लायक नही रहा जिसके चलते अप्रार्थी अपने दूसरे खेत में कंआ लगा रहा है जहां अप्रार्थी अपने पुराने बिजली कनैक्शन को नियमानुसार स्थानान्तरित करवा रहा है जिसे रूकवाने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी को बिजली कनैक्शन आवश्यकता है तो बिजली विभाग से नियमानुसार अपना कनैक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है परन्तु अप्रार्थी को अपने कनैक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा प्रार्थी इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में मिन की स्वअर्जित सम्पति भी शामिल है। यदि अप्रार्थीगण कुंआ कनैक्शन करवाना चाहता है तो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण विचाराधीन वाद में गुण अवगुण के आधार पर किया जावेगा।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़